

राज्य नरिवाचन आयोग नयुक्तविवाद

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अपने एक नरिणय में कहा है कि नौकरशाहों को चुनाव आयुक्त के रूप में नयुक्त नहीं किया जाना चाहिये, ताकि चुनाव आयुक्त के कार्यालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक आदेश के वरिद्ध गोवा सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की जा रही थी।
- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य नरिवाचन आयोग (SEC) को चुनाव कार्यक्रम जारी करने से पूर्व संविधान में नरिधारित जनादेश का पालन करने हेतु स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करने के लिये फटकार लगाई थी।
 - इसके अलावा उच्च न्यायालय ने गोवा राज्य नरिवाचन आयोग द्वारा जारी की गई कुछ नगरपालिका चुनाव अधिसूचनाओं पर भी रोक लगा दी थी।
 - बॉम्बे उच्च न्यायालय का कषेत्राधिकार कषेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव तक वसित है।
- कार्यवाही के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि गोवा राज्य के वधि सचिव को राज्य नरिवाचन आयोग का 'अतरिक्रित प्रभार' सौंपा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

- केवल स्वतंत्र व्यक्त को ही चुनाव आयुक्त के रूप में नयुक्त किया जा सकता है, न कि राज्य सरकार के किसी कर्मचारी को।
 - सरकारी कर्मचारियों को चुनाव आयुक्त के रूप में अतरिक्रित प्रभार देना संविधान का उपहास करने जैसा है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को राज्य नरिवाचन आयोग की स्वतंत्र एवं नषिपक्ष कार्यप्रणाली की संवैधानिक योजना का पालन करने का नरिदेश दिया।
- यदि राज्य सरकार के कर्मचारी ऐसा कोई नषिपक्ष कार्यालय (राज्य सरकार के अधीन) ग्रहण करते हैं, तो उन्हें चुनाव आयुक्त पद का कार्यभार संभालने से पूर्व अपने पद से इस्तीफा देना होगा।
- न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को पूर्णकालिक चुनाव आयुक्त नयुक्त करने का आदेश दिया है, जो स्वतंत्र एवं नषिपक्ष रूप से कार्य करेंगे।

राज्य नरिवाचन आयोग (SEC)

- राज्य नरिवाचन आयोग को राज्य में स्थानीय नकियों के लिये स्वतंत्र और नषिपक्ष चुनाव आयोजित कराने का कार्य सौंपा गया है।
- अनुच्छेद 243 (K) (1): संविधान के इस अनुच्छेद के मुताबिक, पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिये नरिवाचन नामावली तैयार करने और चुनाव आयोजित करने हेतु अधीक्षण, नरिदेशन एवं नयित्रण संबंधी सभी शक्तियाँ राज्य नरिवाचन आयोग में नहिति होंगी, इसमें राज्यपाल द्वारा नयुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी सम्मलित हैं।
 - नगरपालिकाओं से संबंधित प्राधान अनुच्छेद 243(Z)(A) में शामिल हैं।
- अनुच्छेद 243(K)(2): इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त की शक्तियाँ और कार्यकाल को राज्य वधायिका द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार नरिदेशित किया जाएगा। अनुच्छेद के मुताबिक, राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अभियोग की प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जा सकता है।

सुझाव

दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सफिरशि

- राज्य नरिवाचन आयोग का गठन: दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) की सफिरशियों के मुताबिक, राज्य नरिवाचन आयुक्त (SEC) को एक कॉलेजियम की सफिरशि पर राज्यपाल द्वारा नयुक्त किया जाना चाहिये, जिसमें राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य वधिनसभा का अध्यक्ष और वधिनसभा

में वषिकष का नेता शामिल होगा ।

- भारत नरिवाचन आयोग (ECI) और राज्य नरिवाचन आयोगों (SECs) को एक मंच पर लाने के लिये एकसंस्थागत तंत्र स्थापति कयिा जाना चाहयि, जसिसे दोनों संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापति कयिा जा सके, दोनों एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकें और संसाधन साझा कर सकें ।

चुनाव सुधारों पर वधिआयोग की 255वीं रपिर्ट

- वधिआयोग ने चुनाव सुधारों पर अपनी 255वीं रपिर्ट में अनुच्छेद 324 में एक नया उपखंड जोड़ने की बात कही थी, ताकि लोकसभा/राज्यसभा सचवालय (अनुच्छेद 98) की तरज पर भारत नरिवाचन आयोग (ECI) को भी एक नया सचवालय प्रदान कयिा जा सके ।
- राज्य नरिवाचन आयोगों की स्वायत्तता सुनश्चिति करने और स्वतंत्र एवं नषिपक्ष स्थानीय नकियाय चुनाव के लिये भी इसी तरह के प्रावधान कयिा जा सकते हैं ।

स्रोत: द हद्वि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/state-election-commission-appointment-issue>

